(10/रुपए के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट/उप न्यायाधीश द्वारा अनुप्रमाणित किया जाए)

श्री _____ पुत्र/पुत्री/पत्नी _____ निवास स्थान _____ का हलफनामा।

साक्षी सत्यनिष्ठा के साथ निम्नानुसार पुष्टि करता है:-

1. कि _____ मेरे पिता / माता / पति / पत्नी / दादा / दादी / ससुर थे और उनकी मृत्यु _____ को हो गई

2. कि मृतक संपत्ति सं. ..... के पट्टाधारक थे।

3. कि उक्त संपत्ति के संबंध में पट्टा, सं .....अतिरिक्त बही सं .....वॉल्यूम सं.....पृष्ठ सं..... से ... दिनांक .....के रूप में पंजीकृत किया गया था।

4. कि मृतक ने अपने पीछे हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत मुझे सहित निम्नलिखित वारिसों (विधवा / विधुर / माता / पुत्र / पुत्री / पूर्व में मृत पुत्र की विधवा / पूर्व में मृत पुत्री के बच्चे / पूर्व में मृत बेटे के बच्चे) को छोड़ा है और मृतक के साथ उनके संबंध के साथ-साथ उनके नाम, उनकी उम्र और उनके पते नीचे दिए गए हैं:

क्र.सं.	नाम	आयु	संबंधी	पता
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				

5. यह कि मृतक का उन व्यक्तियों, जिनके नाम नीचे दिए गए हैं, के अलावा कोई अन्य वारिस नहीं है।

6. कि मृतक ने अपने पीछे दिनांक _____ की एक वसीयत छोड़ी है जिसमें उक्त संपत्ति _____ के पक्ष में छोड़ी है जोकि पंजीकृत/अपंजीकृत संपत्ति है। वसीयत 'असली है और इस पर काम किए जाने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

(अथवा)

कि मृतक ने अपने पीछे कोई वसीयत नहीं छोड़ी है।

शपथकर्ता

<u>सत्यापनः-</u>

मैं, _____ ऊपरोक्त नाम का साक्षी हूं और यह सत्यापित करता हूं कि ऊपर दिए गए हलफनामे के पैरा 1 से 6 की अंतर्वस्तु मेरी जानकारी में सत्य और सही है और कोई भी भाग गलत नहीं है और उक्त हलफनामे में कुछ भी नहीं छिपा है जो ऊपरोक्त मामले के लिए प्रासंगिक हो।

_____ तारीख को हस्ताक्षर, और सत्यापित किया गया।

शपथकर्ता

1. मृत्यु प्रमाण पत्र (पत्रों) की सत्यापित प्रति संलग्न की जानी चाहिए।
2. ऊपर के खंड चतुर्थ के तहत मां, विधवा, बेटी या बेटे के साथ मृतक के बेटे/बेटियों और पूर्व में मृत बेटी/बेटियों के वारिस का नाम भी दें।
3. यदि मृतक पट्टाधारक ने वसीयत छोड़ी है तो सभी उत्तराधिकारियों को हलफनामे में यह भी कहना चाहिए कि वसीयत वास्तविक है और यदि इस पर कार्रवाई की जाती है, तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। शपथ पत्र पीछे पृष्ठ पर दिए गए निर्धारित प्रारूप के अनुसार होना चाहिए।

4. यदि मृतक ने अपने पीछे अपंजीकृत वसीयत छोड़ी है तो राजपत्रित अधिकारी/नोटरी पब्लिक द्वारा विधिवत रूप से सत्यापित प्रति हलफनामों के साथ भेजी जानी चाहिए।

5. यदि सभी वैध उत्तराधिकारियों से अनापत्ति शपथपत्र प्राप्त करना/प्रस्तुत करना संभव नहीं है तो लाभार्थी/लाभार्थियों को कानून के किसी सक्षम न्यायालय से एक मृतलेख प्रमाण (प्रोबेट) प्राप्त करना चाहिए।

6. यदि वसीयत सक्षम न्यायालय से प्रमाणित है तो वैध वारिसों से अनापत्ति हलफनामों की आवश्यकता नहीं है। तथापि, इस तरह के मामलों में आवेदक द्वारा वसीयत की प्रति के साथ मृतलेख प्रमाण की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की जानी चाहिए।

7. यदि उत्तराधिकारियों में से कोई अपने अधिकार त्यागना चाहता/चाहती है तो उसे जिन उत्तराधिकारियों के पक्ष में अपने अधिकार का त्याग करना है उनके पक्ष में त्याग विलेख निष्पादित और पंजीकृत कराना चाहिए। आवेदन के साथ उप-पंजीयक कार्यालय से त्याग विलेख/रिलीज विलेख की मूल या प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत की जानी चाहिए। वे सभी जो त्याग विलेख निष्पादित करते हैं और इसे पंजीकृत कराते हैं उन्हें शपथपत्र देने की आवश्यकता नहीं है। तथापि, नाबालिग अपने अधिकारों का त्याग नहीं कर सकते हैं।

8. यदि मृतक ने कोई इच्छा पत्र नहीं छोड़ा है और उत्तराधिकारियों ने कोई त्याग विलेख निष्पादित नहीं किया है तो सभी उत्तराधिकारियों को शपथपत्र देना चाहिए।

9. सभी शपथपत्र प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट/उप न्यायाधीश द्वारा अनुप्रमाणित होना चाहिए और यह 10 रुपए के गैर न्यायिक स्टैंप पेपर पर दिया जाना चाहिए और मृत्यु प्रमाणपत्र, वसीयत और पावर ऑफ अटार्नी निम्नलिखित में से किसी द्वार प्रमाणित किया जा सकता है।

(क) राजपत्रित अधिकारी

(ख) नोटरी पब्लिक

(ग) सांसद

(घ) महानगर परिषद के सदस्य